in spite of it, the State Bank of India has not given the necessary finances to restart the Cotton Mills; and

(c) the number of labourers affected by the closure of the Mills and for how long;

(d) whether any interim bonus or lay off charges are sanctioned to the labourers by Government or the Mill owners; and

(e) when the mills are expected to be opened?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi):** (a) and (b). The management of the mills are still negotiating with the State Bank of India for a loan of Rs. 40 lakhs under the State Government's guarantee.

(c) Both the mills have remained closed from 4th April, 1966 and the total number of labourers affected is 6285.

(d) Information on this point is not readily available.

(e) The mills could re-open as soon as the working capital arrangement with the State Bank of India is finalised.

### छात्रों के आन्दोलन के कारण रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति

606. **श्री बड़े :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
**श्री तुला राम :**
**श्री रा० स० तिवारी :**
**श्री विभूति मिश्र :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के छात्र आन्दोलन से रेलवे सम्पत्ति को बहुत क्षति हुई है ;

(ख) यदि हां तो खण्डवार जितनी क्षति हुई है ; और

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) और (ख). मध्य, पूर्व, उत्तर, पूर्वोत्तर और पश्चिम रेलों पर क्रमश: 30,200; 5,66; 7,300 4,541 और 10,039 रुपये की क्षति हुई और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर केवल 100 रुपये की नाममात्र की क्षति हुई । आंध्र प्रदेश में इस्पात कारखाने के सिलसिले में जो उपद्रव हुआ और जिसमें विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया उसकी वजह से दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-मध्य रेलों पर रेल सम्पत्ति को भारी क्षति हुई । यह पता लगाया जा रहा है कि इन रेलों पर कितनी क्षति हुई ।

(ग) रेल परिसर में कानून और व्यवस्था बनाये रखने और रेल सम्पत्ति तथा यात्रियों की जान और उनके माल की रक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार और राज्य सरकार की रेलवे पुलिस की है । गुंडागर्दी करने, रेल परिसर में और गाड़ियों पर हमला करने और रेल सम्पत्ति को नष्ट करने वाले उपद्रवियों से निपटने के लिए राज्य सरकारें समर्थ प्राधिकारी हैं । इस मामले पर रेल मन्त्री ने मुख्य मन्त्रियों से 20 जुलाई, 1966 को और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने 19 जुलाई 1966 को मुख्य सचिवों से दिल्ली में बातचीत की । उन्होंने यह आश्वासन दिया कि बदमाशों और गुंडों से रेल-यात्रियों की जान और उनके माल की और रेल कर्मचारियों तथा रेल सम्पत्ति की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जायेगी ।